न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 315/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/495)

1. धर्मपाल पुत्र सुखदेव, जाति अहीर, निवासी ग्राम नरवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा।

–अपीलान्ट

बनाम

1. रामफल पुत्र मातादीन, जाति अहीर, निवासी ग्राम नरवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा।

–असल–रेस्पोडेन्ट

2. हरद्वारी पुत्र ताराचन्द, जाति अहीर, निवासी ग्राम नरवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा।
3. बदलू पुत्र हेमकरण, जाति अहीर, निवासी ग्राम नरवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा।
4. विजयपाल पुत्र महेरचन्द, जाति अहीर, निवासी ग्राम नरवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा।
5. तहसीलदार भूमिधारी कोटकासिम, हाल जिला खैरथल–तिजारा।

–तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा दिनांक 17.11.2022

उपस्थित–

1. श्री विजयसिंह राठौड, वकील अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 4 अनुपस्थित।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –18.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के निर्णय दिनांक 17.11.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 03.10.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर. एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 727 रकबा 0.3900 हैक्टयर वाके ग्राम नरवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज. में स्थित है। विवादित आराजी मिन प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है। जिस पर मिन प्रार्थी काबिज व काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी विवादित आराजी की पैमाईश दिनांक 30.06.2021 को तहसीलदार कोटकासिम के आदेश क्रमांक सीमाज्ञान 22 दिनांक 16.06.2021 की पालना में हल्का पटवारी से करवाई हुई है। प्रार्थी द्वारा अपनी विवादित आराजी की पैमाईश, मौका पर्चा दिनांक 30.06.21 के अनुसार पत्थरगढी करवाने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 727 रकबा 0.3900 हैक्टयर वाके ग्राम नरवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर राज0 की पुनः पैमाईश की जाकर मौका पर्चा दिनांक 30.06.2021 के अनुसार पत्थरगढी करवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कोटकासिम को आदेशित किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 727/0.3900 है0 वाके ग्राम नरवास, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर राज0 से लगती आराजी के सभी काश्तकारो को विधिवत रूप से पूर्व सूचित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कर उनकी मौजूदगी में पुनः पैमाईश कर रकबे को पूरा करते हुए पत्थरगढी करवाई जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2022 को पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 17.11.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट धर्मपाल पुत्र सुखदेव द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर दिनांक 17.11.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विद्वान तहत् न्यायालय असल रेस्पोडेन्ट द्वारा खसरा नं0 727 रकबा 0.3900 है0 की पैमाईश 30.06.2021 को मिन अपीलान्ट के पीठ पीछे बाला–बाला कराई है। जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को नही दी गई। जबकि मिन अपीलान्टान विवादित आराजी के पडोसी है। ना तो मिन अपीलान्ट को नोटिस दिया गया और ना ही वक्त पैमाईश सूचना दी गई। जबकि असल रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के जिमन नं० 3 में स्पष्ट अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी आम रास्ता तरफ दक्षिण दिशा में लगती हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 3 की आराजी भी दक्षिण दिशा में लगती हुई है और पूर्व दिशा में आम रास्ता व तरफ पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 4 की आराजी लगती हुई है। इस प्रकार तहत न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की आराजी विवादित आराजी से लगती हुई थी लेकिन किसी को भी नोटिस जारी नहीं किये गये और साक्ष्य व सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। असल रेस्पोडेन्ट आराजी खसरा नं0 727 की आड में रास्ते की भूमि को दबाना चाहता है। जिससे मिन अपीलान्ट व अन्य लोगों को असुविधा होती है और उक्त गलत पैमाईश के आधार पर मिन अपीलान्टान की आराजी जो लगती हुई है उसका रकबा कम कराते हुए अपनी आराजी की पैमाईश कराई गई है। अपीलान्ट द्वारा मौके पर रास्ते की भूमि पर पत्थरगढी कराई जाती है तो रास्ता पूर्णतया बन्द हो जायेगा जबकि उक्त रास्ता सरकारी रास्ता है। विवादित आराजी से लगती हुई मिन अपीलान्ट की व अशोक कुमार पुत्र दल्लू की भूमि है। जिसमें पुख्ता मकान बने हुए है। लेकिन मौके पर जाकर तहसीलदार व पटवारी हल्का ने किसी प्रकार कोई जांच नहीं की और ना विवादित आराजी से लगते हुए खसरा नम्बरान की कोई पैमाईश नहीं की गई। जबकि कानूनन पैमाईश अडोसी पडोसीयों के समक्ष की जानी चाहिए थी और इसी बात को मिन अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा तहत न्यायालय में निवेदन किया गया था लेकिन तहत न्यायालय ने मिन अपीलान्ट के ऐतराजात को नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। तहत् न्यायालय के आदेश दिनांक 17.11.2022 की आड में असल रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत पैमाईश के आधार पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की आराजी में पत्थर गाडने की जूस्तजू में लगे हुए है और मिन अपीलान्ट की आराजी में यदि पत्थर गाड दिये जाते है। तो मिन अपीलान्ट की आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबे से कम हो जायेगी लेकिन तहत् न्यायालय ने मिन अपीलान्ट की पीडा को समझे बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। तहत न्यायालय को मिन अपीलान्ट की आराजी को कम करने का किसी प्रकार से कानूनन कोई अधिकार नहीं है। लेकिन तहत न्यायालय ने इन समस्त कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य आदेश तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, हाल जिला खैरथल–तिजारा का आदेश दिनांक 17.11.2022 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया है कि तहत् न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2022 की पालना में पटवारी हल्का व आई.एल.आर. मौके पर पत्थरगढी करने पहुंचे तो को अपीलान्ट को पत्थरगढी की कोई सूचना नहीं दी गई है। जिस पर अपीलान्ट ने सभी तथ्यों की जानकारी की तो पता चला कि विद्वान तहत् न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.11.2022 के अनुसार पत्थरगढी करने के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

आदेश दिये है जिस पर अपीलान्ट ने तहत् न्यायालय में नकल का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2023 को पेश किया। जो नकल दिनांक 27.09.2023 को प्राप्त हुई। जिस पर मिन अपीलान्ट ने वकील साहिबान से सलाह मशविरा किया जिन्होनें अपील पेश करने की सलाह दी। मिन अपीलान्ट ने पैसे आदि का इन्तजाम कर वकील साहब से जयपुर में आकर सम्पर्क किया तो उन्होंने अपील तैयार करवाकर आज बिना किसी देरी के न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत की है हालांकि जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः निवेदन हैं कि अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के परीक्षण पश्चात विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2022 पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रकरण पत्थरगढी से संबधित है जिसमें पडौसी खातेदारों को सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत तथा दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत पूर्ण अवसर दिया जाना पत्रावली के अवलोकन से विदित नहीं होता है। प्रकरण में कोई समरी जॉच भी नहीं की गई है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.11.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा को न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा बाद सुनवाई एवं समरी जांच पश्चात प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.11.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा बाद सुनवाई एवं समरी जांच पश्चात प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 18.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर